रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2005/भाद्र 8, 1927
No. 121] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2005/BHADRA 8, 1927

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2005

फा. सं. 34-2/2005/राअशिप/समन्वय.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) अधिनियम, 1993 के खण्ड 19 के उप-खण्ड (1) तथा उप-खण्ड (2) की धारा (झ) तथा (त) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (कार्यकारी समिति को कार्यों और शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 1995 का प्रतिस्थापन करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :

1. लघुशीर्ष और प्रवर्तन

(i) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (कार्यकारी समिति को कार्यों का प्रत्यायोजन) विनियम, 2005 कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कार्य

(i) कार्यकारी समिति परिषद् द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित विशेष कार्य करेगी।

(ii) कार्यकारी समिति को परिषद् द्वारा प्रत्यायोजित मामलों पर कार्रवाई करने और निर्णय लेने का अधिकार तथा शक्तियां प्राप्त होंगी।

सी. सी. तिवारी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन/III/IV/135/05-असा.]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2005

F. No. 34-2/2005/NCTE/CDN.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (i) and (p) of sub-section (2) of Section 32 read with sub-section (1) of Section 19 of the National Council for Teacher Education Act, 1993, and in supersession of the National Council for Teacher Education (assignment of functions and powers to the Executive Committee) Regulations, 1995, the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement :

(1) These regulations may be called the National Council for Teacher Education (assignment of functions to the Executive Committee) Regulations, 2005.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Functions :

(1) The Executive Committee shall carry out the specific functions to be assigned to it by the Council from time to time.

(2) The Executive Committee shall have the authority and the powers to act and decide in the matters assigned to it by the Council.

V.C. TEWARI, Member Secy.

[Advt./III/IV/131/05-Exty.]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2005

फा. सं. 9-5/2001/राअशिप.—राअशिप (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना से पूर्व मौजूद संस्थानों से मान्यता के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि) विनियम, 2001 का, जो कि दिनांक 27-09-2001 की इसी संख्या की अधिसूचना के अधीन अधिसूचित किए गए थे और जो 5-10-2001 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग—III, खण्ड 4 में संख्या 270 के रूप में प्रकाशित हुए थे, एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

उपर्युक्त विनियमों का निरसन इन विनियमों के अधीन पहले से लिए गए किसी निर्णय/कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा।

वी. सी. तिवारी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन/III/IV/131/05-असा.]

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2005

F. No. 9-5/2001/NCTE.—The NCTE (Procedure to be followed in processing applications for recognition received from institutions existing prior to the establishment of NCTE) Regulations, 2001 notified vide Notification of even number dated 27-09-2001 and published in the Gazette of India Extraordinary Part-III—Section 4 as number 270 on 5-10-2001 is hereby repealed.

2. The repeal of the aforesaid regulations shall not affect any decision/action already taken under these regulations.

V.C. TEWARI, Member Secy.

[Advt./III/IV/131/05-Exty.]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2005

फा. सं. 49-5/2005/राअशिप/मानदण्ड और मानक.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा निर्धारित मौजूदा विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के इच्छुक संस्थान को राअशिप से मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ-साथ सम्बन्धित राज्य/संघशासित क्षेत्र की सरकार से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जमा कराना जरूरी होता है। राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमोदन के बिना प्राप्त हुए आवेदन पत्र पर राअशिप की सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर विचार करते हुए क्षेत्रीय समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की बाबत राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन के अनुमोदन पर विचार किया जाएगा। कभी-कभी संस्थानों के आवेदन पत्र भेजते समय कुछ राज्य/संघशासित क्षेत्रों की सरकारें इस बात का उल्लेख कर देती हैं कि इस अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमोदन के रूप में न समझा जाए और राअशिप की क्षेत्रीय समिति से कोई विशेष अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए संस्थान को मान्यता न प्रदान करने का अनुरोध करती हैं। इस तरह की स्थितियों को विनियमित करने की जरूरत महसूस की गई है।

अतः, अब, राअशिप अधिनियम, 1993 के खण्ड 32 के उप-खण्ड (2) की धारा (च) और (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :

1. लघुशीर्ष और प्रवर्तन

ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थानों की मान्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) संशोधन विनियम, 2005 कहलाएंगे।

2. **संशोधन की सीमा**

दिनाँक 6 जून 2003 के विनियमों द्वारा यथा संशोधित दिनाँक 13.11.2002 के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थानों की मान्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के विनियम 6 की धारा (IV) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा

'मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय क्षेत्रीय समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र / अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की बाबत राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्र के अनुमोदन पर विचार किया जाएगा । यदि किसी मामले में कोई राज्य / संघशासित क्षेत्र की सरकार संस्थानों के आवेदन पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र / अनुमोदन के बिना भेजती है और कोई विशेष अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्थानों को मान्यता न देने का अनुरोध करती है तो राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से राज्य / संघशासित क्षेत्र की सरकार के निर्णय के समर्थन में सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के समक्ष तथ्य और आंकड़ों के साथ स्थिति का औचित्य सिद्ध करने को कहा जाएगा और केवल तभी सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति द्वारा सम्बन्धित राज्य / संघशासित क्षेत्र के संस्थानों के आवेदन पत्रों पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी ।'

वी. सी. तिवारी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन/III/IV/131/05-असा.]

पाद टिप्पणी :

(1) मूल विनियम अधिसूचना संख्या फा. 9-18/2002/राअशिप दिनांक 13-11-2004 के द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4) सं. 248 दिनांक 18-11-2002 को प्रकाशित किए गए।

(2) संशोधन विनियम अधिसूचना सं. फा. 48-6/2003/राअशिप (एन एण्ड एस) दिनांक 6-6-2003 के द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4) सं. 100 दिनांक 23-6-2003 को प्रकाशित किए गए।

(3) दूसरा संशोधन विनियम अधिसूचना सं. फा. 48/6/2003/राअशिप (एन एण्ड एस) दिनांक 21-8-2003 के द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4) सं. 133 दिनांक 29-8-2003 को प्रकाशित किए गए।

(4) तीसरा संशोधन विनियम अधिसूचना सं. फा. 53/3/2003/राअशिप (एन एण्ड एस) दिनांक 1-2-2004 के द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4) सं. 3 दिनांक 5-1-2004 को प्रकाशित किए गए।

(5) चौथा संशोधन विनियम अधिसूचना सं. फा. 53/3/2003/राअशिप (एन एण्ड एस) दिनांक 21-3-2005 के द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4) सं. 45 दिनांक 1-4-2005 को प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2005

F. No. 49-5/2005-NCTE/N&S.— As per provisions in the existing Regulations laid down by the National Council for Teacher Education (NCTE), an institution desirous of starting a teacher education programme is required to submit a No Objection Certificate (NOC) from the State/ UT Govt. concerned along with the application form for seeking recognition from NCTE. Application without NOC / endorsement of the State

Govemment / UT shall not be processed by the concerned Regional Committee of NCTE. The NOC / endorsement of the State Government / UT Administration in regard to issue of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition. Sometimes, some of the State / UT Govts., while forwarding the applications of institutions mention that it should not be treated as NOC / endorsement and request the Regional Committee of NCTE for not granting recognition to institutions for starting a particular teacher training programme. A need has been felt to regulate such circumstances.

Now, therefore, in exercise of powers conferred under clauses (f) and (g) of sub-section (2) of Section 32 of NCTE Act, 1993, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby makes the following regulations, namely -

1. Short title and commencement

(i) These Regulations may be called the "NCTE (form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) (5th Amendment) Regulations, 2005.

(ii) They shall come in to force with effect from the date of their publication in the official Gazette.

2. Extent of Amendment

In the NCTE (form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations, 2002 dated 13.11.2002 as amended by Regulations dated June 6, 2003, clause (iv) of Regulation 6 shall be substituted as under :

"The NOC / endorsement of the State government / UT Administration in regard to issue of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition. In the event of a State / UT Govt. forwarding applications of institutions without NOC / endorsement and requesting for not granting recognition to institutions for conducting a particular teacher training programme, the State Representatives will be asked to justify the position with facts and figures before the Regional Committee concerned in support of the decision of the State / UT Govts. and only thereafter, the applications of the institutions of the State / UT concerned shall be taken up for further processing by the Regional Committee concerned."

V.C. TEWARI, Member Secy.
[Advt./III/IV/131/05-Exty.]

Foot Note :

1. The main Regulations were published vide Notification No.F.9-18/2002/NCTE dated 13.11.2002 in the Gazette of India Extra-Ordinary (Part III, Section 4) on November 18, 2002 as No.248.
2. The Amendment Regulations were published vide Notification No.F.48-6/2003/NCTE(N&S) dated 6.6.2003 in the Gazette of India Extra-ordinary (part III, Section 4) on 23.6.2003 as No.100.
3. The Second Amendment Regulations were published vide Notification No. F.48-6/2003/NCTE (N&S) dated 21.8.2003 in the Gazette of India Extra-Ordinary (Part III, Section 4) on 29.8.2003 as No.133.
4. The Third Amendment Regulations were published vide Notification No.F.53-3/2003/NCTE(N&S) dated 1.1.2004 in the Gazette of India Extra-Ordinary (Part-III, Section 4) on 5.1.2004 as No.3
5. The Fourth Amendment Regulations were published vide Notification No.F.53-3/2003/NCTE(N&S) dated 21.3.2005 in the Gazette of India Extra-Ordinary (Part-III, Section 4) on 1.4.2005as No.45.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2005

फा. सं. 91-1/2005/राष्ट्रीय/मानदण्ड और मानक.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 1993 के खण्ड (घ)(i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् 29-5-2005 को अधिसूचित, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2003 द्वारा यथासंशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 को और आगे संशोधित करने के लिए निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :

1. लघुशीर्ष और प्रवर्तन

(i) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण (संशोधन) विनियम 2005 कहलाएंगे ।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. संशोधन की सीमा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 की पहली अनुसूची में स्कूल-पूर्व / नर्सरी (4-6 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के लिए) तथा स्कूल-पूर्व / नर्सरी जिसके बाद औरचारिक स्कूल में पहले दो वर्ष की अवधि आती है के लिए न्यूनतम शैक्षणिक तथा व्यावसायिक अर्हताओं से सम्बन्धित मद संख्या I तथा II निम्न द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी :

संख्या	स्तर	न्यूनतम शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं
1.	स्कूल-पूर्व / नर्सरी (4-6 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के लिए)	(i) माध्यमिक स्कूल (कक्षा X) प्रमाणपत्र अथवा उसके समतुल्य; तथा (ii) स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में कम से कम एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा / प्रमाणपत्र अथवा बी.एड़ (नर्सरी)
2.	स्कूल-पूर्व / नर्सरी जिसके बाद औपचारिक स्कूल में पहले दो वष की अवधि आती है (4-6 वर्ष तथा 6-8 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के लिए)	(i) कम से कम 45% अंकों सहित उच्च माध्यमिक स्कूल (कक्षा XII) अथवा इन्टरमीडिएट अथवा उसके समतुल्य; तथा (ii) नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम अथवा बी.एड़ (नर्सरी)

वी. सी. तिवारी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन/III/IV/131/05-असा.]

पाद टिप्पण : मूल विनियम दिनांक 3 सितम्बर 2001 की अधिसूचना संख्या फा. 9-2/2001/राअशिप के अधीन अधिसूचित और सितम्बर 2001 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में संख्या 238 के रूप में सितम्बर 2001 को प्रकाशित किए गए थे । इन्हें बाद में दिनांक 28 अप्रेल 2003 की अधिसूचना संख्या फा. 9-2/2001/राअशिप के अधीन संशोधित और भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में संख्या 83 के रूप में 29 मई 2003 को प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New delhi, the 23rd August, 2005

F. No. 91-1/2005-NCTE/(N&S). In exercise of the powers conferred under Section (d)(i) of the National Council for Teacher Education Act, 1993, the Council hereby makes the following regulations to amend further the National Council for Teacher Education (determination of minimum qualifications for recruitment of teachers in schools) Regulations, 2001, as amended vide National Council for Teacher Education (determination of minimum qualifications for recruitment of teachers in schools) (amendment) Regulations, 2003, notified on 29.05.2003, namely :-

1. Short title and commencement

(i) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (determination of minimum qualifications for recruitment of teachers in schools) (amendment) Regulations, 2005

(ii) They shall come in to force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Extent of Amendment

In the first schedule to the National Council for Teacher Education (determination of minimum qualifications for recruitment of teachers in schools) Regulations, 2001, item No. I & II relating to minimum academic and professional qualifications for pre-school / nursery (for children in the age-group for 4-6 years) and pre-school/ nursery followed by first two years in a formal school, shall be substituted by the following :-

Level	Minimum academic and professional qualifications
I. Pre-school/ nursery (for children in the age group of 4-6 years)	(i) Secondary school (class ten) certificate or its equivalent; and (ii) Diploma / certificate in pre-school teacher education programme of a duration of not less than one year, or B.Ed. (nursery).
II. Pre-school/ nursery followed by first two years in a formal school. (For children in the age group of 4-6 and 6-8 years)	(i) Senior Secondary School (class twelve) Certificate or Intermediate or its equivalent with at least 45% marks; and (ii) Diploma/ Certificate in Nursery Teacher Education Programme of a duration of not less than two years, or B.Ed. (nursery).

V.C. TEWARI, Member Secy.

[ADVT./III/IV/131/05-Exty.]

Foot Note : The main regulations were notified vide notification No.F.9-2/2001/NCTE dated 3rd September, 2001 and published in the Gazette of India Extra-ordinary part III, Section 4 as number 238 dated September, 2001. These were subsequently amended vide notification number F.9-2/2001-NCTE dated April 28, 2003 and published in the Gazette of India, part III Section 4 as number 83 on May 29, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.